


M1-12

निरीक्षण प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

शाना कार्यालय

: लखनौर

निरीक्षण की तिथि

: 23.10.2002

डा० बी० राजेन्दर

भा० प्र० से०

जिला पदाधिकाशी

मधुबनी

डTO बी0 राजेन्द्र, भोटपोसे0, जिला पदाधिकारी, मुखनी दाराट दिनांक 23-10-2002 को
लखनौर धाना का किये गये निरोधना से संबंधित निरोधना टिप्पणी ।

1- परिचय :-

लखनौर धाना ब्रंसारपुर-मेथुर पी0 डब्लू0 डी0 मुख्य मार्ग पर जिला मुख्यालय से लगभग 52 कि0मी0 की दूरीपर अवस्थित है । यह मेथुर धाना का सहायक धाना है । बताया गया कि सहायक धाना के रूप में वर्ष 1982 से कार्यरत है । धाना प्रभासी ने बताया कि इससे पूर्व ओपी0 के रूप में एक स्कूल में चलता था । विधिविधिवशों की स्थिति बिगड़ने के पश्चात् यहाँ धाना स्थापित किया गया । इस धाना का स्तन किस अधिसूचना संख्या से हुआ है के संबंध में पूछने पर बताया गया कि इसको कोई सूचना इस धाना में उपलब्ध नहीं है, जो चिन्ता की बात है । इतना पुराना धाना होने के बावजूद भी किस अधिसूचना से इस धाना का स्तन हुआ, इसकी जानकारी धाना प्रभारी को नहीं है । धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर संधारित करें एवं अनुमालन प्रतिवेदन भेजें । यदि मुख्यालय में अधिसूचना की प्रति प्राप्त नहीं होती है, तो आरक्षी महानिरोधक, कार्यालय दरभंगा से अथवा गृह/आरक्षी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करें ।

निरोधना के समय अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, ब्रंसारपुर एवं आरक्षी निरोधक, ब्रंसारपुर अंचल उपस्थित थे । बताया गया कि इस धाना के उत्तर में ब्रंसारपुर आरक्षी विवर धाना क्षेत्र, दक्षिण में दरभंगा जिला सफलपुर धाना, पूरब में मेथुर धाना तथा पश्चिम में आरक्षी विवर धाना का क्षेत्र पड़ता है । लखनौर धाना से 7 कि0मी0 की दूरी पर ब्रंसारपुर रेलवे स्टेशन है । इस धाना के दक्षिण में कम्ला नदी है । इस धाना के अन्तर्गत 10 पंचायत एवं 3 सर्किल हैं । इस धाना के अन्तर्गत कोई पोकेट नहीं है ।

2- भवन :-

लखनौर धाना का अपना भवन नहीं है । वर्तमान में कोषी परियोजना के भवन में कार्यरत है । पदाधिकारियों एवं कर्मियों को रहने हेतु आवस है, परन्तु मरम्मत के अभाव में वर्षा में जलता है । धाना में महिला हाबल नहीं है । धाना के एक कमरे को हाबल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । धाना भवन की स्थिति अत्यन्त ऊर्ध्व है, जिसमें मरम्मत कराने की आवश्यकता है । कार्यालय अभिधा, भवन प्रमंडल, मुखनी को आदेश दिया जाता है कि धाना भवन की मरम्मत हेतु आवस्य कार्रवाई करने का कष्ट करें । धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भवन की मरम्मत हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार करने का कष्ट करें ।

लगतार...2/-

भवन के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पट्टा स्थान की बहुत कमी है, जिसके फलस्वरूप कार्य करने में कठिनाई हो रही है। प्रकृत विकास पदाधिकारी, लखनौर, जो निरीक्षण के क्रम में उपस्थित थे, ने बताया कि धाना भवन की जमीन अधिग्रहण हो प्रस्ताव किया हुआ था तथा को भेजा गया है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रभारी उप समाह्वतार्थ, जिगा राजस्व, धूमनी से सम्बन्ध स्थापित कर धाना भवन के जमीन अधिग्रहण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये। धाना में नाड़ी उपलब्ध है, जिसका नं०- बी०आर०-32-4647 है। धाना में निम्नी दूरभाष संख्या-22849 लगा हुआ है।

3- प्रभार :-

श्री राम० हुज्ड, अबर निरीक्षक दिनांक 22-5-2002 से धाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इनके पूर्व अ०नि० स्थानिक कुमार यादव धाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अधिहस्ताधारी के निरीक्षण हुए प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार इस धाना में पदस्थपित धाना प्रभारियों का पदस्थपन सूची तैयार की गयी है। पदस्थपन सूची का बौर्ड धाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में टंगा हुआ पाया गया। नामपट्ट के अनुसार धाना प्रभारियों का पदस्थपन की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संबंध	कार्य अवधि
1-	शिवनारायण मल्लिक	अवर निरीक्षक	
2-	आर०एस० राय	अवर निरीक्षक	से 17-9-1983 तक।
3-	मो० जौल	सहायक अवर निरीक्षक	17-9-1983 से 17-10-1983 तक।
4-	के०पी० सिंह	अवर निरीक्षक	17-10-1983 से 22-6-1984 तक एवं पंचः 23-6-1984 से 27-3-1986 तक।
5-	सल०बी०प्रसाद	अवर निरीक्षक	27-3-1986 से 10-1-1987 तक।
6-	रम०रन० सिंह	अवर निरीक्षक	10-1-1987 से 2-2-1988 तक।
7-	रम० रदमान	अवर निरीक्षक	10-2-1988 से 24-7-1990 तक।
8-	सो०के० सिंह	अवर निरीक्षक	24-7-1990 से 2-10-1990 तक।
9-	रम० रदमान	अवर निरीक्षक	2-10-1990 से 18-12-1990 तक।
10-	सो०के० सिंह	अवर निरीक्षक	18-12-1990 से 20-11-1992 तक।
11-	पी० के० गजरा	अवर निरीक्षक	20-11-1992 से 4-5-1993 तक।

12-	रम0के0गप्लT	अवर निररीक्षक	7-5-1993 से 10-4-1994 तक ।
13-	रम0पी0सिंह	अवर निररीक्षक	17-4-1994 से 11-6-1995 तक ।
14-	आर0रन0 साह	अवर निररीक्षक	11-6-1995 से 4-4-1998 तक ।
15-	आई0 अहमद	अवर निररीक्षक	4-4-1998 से 9-2-1999 तक ।
16-	रम0 के0 यादव	अवर निररीक्षक	9-2-1999 से 22-5-2002 तक ।
17-	रम0 दुइइ	अवर निररीक्षक	22-5-2002 से अद्वतन ।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांक -1 एवं 2 के कार्यावधि के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है । धाना प्रभारों को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सूचना प्राप्त कर नामपट्ट पर कार्यावधि का उल्लेख करना सुनिश्चित करें ।

4- स्थापना :-

लखनौर धाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	अवर निररीक्षक	2	1	1	-
2-	सहायक अवर निररीक्षक	2	2	x	-
3-	हवलदार	1	x	1	-
4-	आरक्षी	6	4	2	-

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निररीक्षक का एक पद, हवलदार का एक पद एवं आरक्षी का दो पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मुख्यालय कृपया समीक्षा कर रिक्त स्थानों के विरुद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे । स्वीकृत बल के विरुद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नकार है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अवर निररीक्षक	रम0 दुइइ	23-05-2002	गाम-टोलT-धाना-राजपुर, जलT-सरहडोलT, बारखड ।
2-	सहायक अवर निररीक्षक	राजनी प्र0श्रीधारासव	26-09-2001	गाम-शतवारपुर पकड़ी, धाना-लाल गंज जलT-शरगनी । लगातार...५/-

सहायक अवर निरीक्षक	हरिशंकर राम	04-02-2001	गाम-बड़का लौहर, थाना-बड़हरा, जिला-भोजपुर ।
साधारण आरक्षी-174	भोलाल महतो	05-07-2001	साठ- सादिकपुर, थाना-बाढ़, जिला-पटना ।
आरक्षी-454	शिवनाथ सिंह	13-8-2000	साठ- धोवोली, थाना-विदुपुर, जिला-बैरगाली ।
आरक्षी -84	राम विलास पासवान	05-05-2002	साठ- केशापुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर ।
आरक्षी - 215	शिव राय	27-09-2002	गाम-मेनर ब्लॉक, माधोपुर औरासो, थाना-मेनर, जिला-पटना ।

पूर्व निरीक्षण :-

लखनौर थाना का पूर्व में नियुक्ति निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण दिवसानी प्रादित की तिथि	अनुमतिन की तिथि
श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मुखनी	30-03-1996	18-5-1996	
श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मुखनी	22-01-1997	09-2-1997	30-09-1997
श्री एस0 आर0 खर्	अनुमंडल आरक्षी पदाठ,	22-03-1997	29-04-1997	30-09-1997
श्री एस0 आर0 खर्	अनुमंडल आरक्षी पदाठ, बंशारपुर ।	01-12-1997	10-01-1998	13-01-1998
श्री डाटाब अखतर	आरक्षी अधीक्षक, मुखनी	05-02-1998	07-02-1998	28-11-1998
श्री एस0 आर0 खर्	अनुमंडल आरक्षी पदाठ, बंशारपुर ।	30-11-1998	17-12-1998	15-05-1999
श्री मो0 इस्लाम	अनुमंडल आरक्षी पदाठ, बंशारपुर ।	26-07-1999	10-08-1999	15-09-2000
श्री उमाशंकर प्रसाद	अनुमंडल आरक्षी पदाठ, बंशारपुर ।	28-11-2000	08-12-2000	31-12-2000
श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आरक्षी निरीक्षक, बंशारपुर	22-03-2001	22-03-2001	16-10-2002
श्री विमेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मुखनी	15-11-2001	15-12-2001	16-10-2002
श्री अमजद अली	अनुमंडल आरक्षी पदाठ, बंशारपुर ।	31-03-2002	21-06-2002	20-10-2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 से विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस धाना का क्रिय गये निरीक्षण का द्यौरा उपलब्ध कराया गया है, जब कि यह धाना वर्ष 1982 से ही कार्यरत है। धाना प्रभारी से वर्ष 1996 से पूर्व को निरीक्षण टिप्पणी को माँग करने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। धाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व का निरीक्षण टिप्पणी धाना में उपलब्ध नहीं है, जो आश्चर्य का विषय है। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि इस धाना का पूर्व में किसी क्षीण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक, मधुखनी द्वारा वर्ष 2001 के बाद एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा वर्ष 2001 के बाद इस धाना का निरीक्षण नहीं किया गया है। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले धाना का निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित करें।

बिहार पुलिस हेतुक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को हैं। हर अनुमंडल पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वे अपने अधिभूत क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी धानों का वार्षिक निरीक्षण करें। अतएव, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन किया। प्रायः सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण

टिप्पणी एक ही पंजी में संघारित है एवं अनुमालन भी उसी में सौटा गया है। यह प्रथा ठीक नहीं है। नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रक्षी संचिका का संघारण होना चाहिए एवं उसी में संबंधित पदाधिकारी का निरीक्षण टिप्पणी एवं अनुमालन प्रतिवेदन विपकाना चाहिए। निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित उपर्युक्त ऑफिस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मात्र तीन निरीक्षी पदाधिकारियों के निरीक्षण का अनुमालन समय-सीमा के अन्दर भेजा गया है, अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस धाना का क्रिय गये निरीक्षण का अनुमालन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब किया गया है। नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त के एक माह के अन्दर अनुमालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए। यदि अन्तिम अनुमालन प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो तो अन्तरिम अनुमालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए। धानाप्रभारी को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणी का अनुमालन प्रतिवेदन समय-सीमा के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें। अगर न्यायितर समय-सीमा के अन्दर अनुमालन प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

निरोधक टिप्पणी से संबंधित अनुमति प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमति प्रविष्टि में प्रक्रिया/दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुमति प्रविष्टि करें।

6- धाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं-15 में धाना दैनिकी संभारित किया जाना है। इस धाना में यह दैनिकी तहसील दंग से संभारित किया जा रहा है, जो दो प्रतियों में है। कार्डन प्रति प्रति दिन आरक्षी निरोधक के पास भेज दी जाती है। आरक्षी निरोधक द्वारा रक महीने का धाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रितर कार्डवाई हेतु भेज दी जाती है। धाना दैनिकी में हर दो घंटे की श्लेषपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वदिन से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वदिन तक अर्थात् 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है। धाना दैनिकी में धाना क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसको प्रतिघंटे की जाती है। इसके अतिरिक्त धाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उसका तिथि को कोई हाजिर में है अथवा नहीं, उसका तिथि में मौतम कैसा रहा, धाना में कितनी रात्रि नगद रूप में है, कोई विदेशी धाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं आदि की भी प्रतिघंटे की जाती है। अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, संभारपुर द्वारा बताया गया कि मानव अधिकार आयोग के तहत जो भी कदमी धाना हाजिर में आता है, उसका इन्द्राय धाना दैनिकी में किया जाता है। धाना परिसर में विभागीय सहायक से संबंधित कोई भी मामला धाना दैनिकी में दर्ज नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि 10-00 बजे रात्रि से 6-00 बजे सुबह तक कोई घटना नहीं होती है, तो धाना दैनिकी में लिखा जायगा कि उक्त अवधि में कोई घटना नहीं घटी है, फलस्वरूप इसमें दर्ज नहीं किया गया। धाना दैनिकी के भौलूम 12033 के क्रमांक 1203201 से 1203300 तक का अवलोकन किया। धाना दैनिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं-कहीं अपलेखन किया गया है, परन्तु किसी पदाधिकारी का लघु हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि धाना दैनिकी में कहीं अपलेखन किया जाता है, तो उसके बगल में अवश्य लघु हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।

धाना दैनिकी के पृष्ठ संख्या 1203266 पर वर्णित धाना दैनिकी संख्या 313/2002 दिनांक 20-10-2002 का अवलोकन किया। इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समय लालो देवी जीजे स्व० सुकन चौपाल, साठ आकसी, धाना-नखनौर, जिला-मुजफ्फरपुर का रक

लिखित आवेदन दिये, जिसके आधार पर लखनौर थाना काण्ड संख्या 246/2002 दिनांक 20-10-2002 धारा 447/341/323/379/34 धारा 40 वि० के अभियुक्त साहेब चौपाल, महता चौपाल पे० स्व० सकुन चौपाल, छेदी चौपाल पे० महावीर चौपाल, राय चौपाल पे० स्व० सुरन चौपाल, सभी साकिनान ओरसी, थाना-लखनौर, जिला-मुखनी के विरुद्ध कायम किया। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है। बताया गया कि थाना हैन्डिकी को थाना का दर्फ्ट Mirror of Police Station कहा जाता है।

7- फिरतरी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म-16 में फिरतरी पंजी संधारित करना है, जो विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित है। यह दो भाग में होता है। भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग-11 में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है। भाग-1 में दो फिरतरी हैं। भाग-1 में फिरतरी रामेश्वर यादव, सा०-गंगापुर एवं योगी कामल सा०-बौद्ध का नाम अंकित है। थाना प्रभारी ने बताया कि रामेश्वर यादव तीन पूर्व मर गया है एवं योगी कामल, न्यायालय में अटमसर्पण कर जमानत पर मुक्त है, जिसका उल्लेख पंजी में किया गया है। भाग-2 में कोई फिरतरी नहीं है। पंजी के अक्लोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी का मिमान दिनांक 22-10-2002 को डी०सी०बी० गायक, मुखनी से कराया गया है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि रामेश्वर यादव, जिनकी मृत्यु हो गयी है का नाम फिरतरी पंजी से हटाने हेतु प्रस्ताव आरक्षी अधीक्षक, मुखनी को अविलम्ब भेजा जाय।

8- गिरफ्तार अपराधियों को पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या 31-ए में इस पंजी का संधारण किया जाना है। इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं किया जा रहा है, जो गम्भीर विषय है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण अविलम्ब करना सुनिश्चित करें।

9- रिटर्न ऑफ अनरकसक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म सं०-50 में इस पंजी को संधारित करना है, जो संधारित है। इस पंजी के अनुसार दिनांक 23-10-2002 तक कुल 38 वारंट एवं 4 कुर्को तामिना हेतु लंबित है। लंबित वारंट/कुर्को को विवरणी निम्नवत है :-

पूर्व से लंबित	वर्तमान माह में प्राप्त	वर्तमान माह में निष्पादित	कुल लंबित
वारंट कुर्को	वारंट कुर्को	वारंट कुर्को	वारंट कुर्को
34	20	16	38
4	x	x	4

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्को को विवरण नीम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वारंट कुर्को
1-	310 नि० रम० टुड्डू	20 x
2-	स०310 नि० रामजी श्रीवास्तव	3 x
3-	स०310 नि० हरिनांकर राम	12 x
4-	310 नि० रस० के यादव	3 4
कुल :-		38 4

उपर्युक्त ऑफिस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी 38 वारंट एवं 4 कुर्को निष्पादन हेतु लंबित हैं, जो गम्भीर विषय है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित वारंट/कुर्को का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

10-रजिस्टर ऑफ ऑफिस लाईसेंस :-

बिहार पुलिस दस्तावेज के नियम 130 के तहत फार्म संख्या -25 में यह पंजी संधारित है। इस पंजी का अवलोकन किया गया। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 22-10-2002 को जिला रास्त्र पंजी से मिशान किया गया है। रास्त्र पंजी के अनुसार इस धाना के अनुज्ञापत्र कुल 28 अर्थात् 28 रास्त्र अनुज्ञापत्र है, जिसकी विवरण नीम्न प्रकार है :-

१ क१	डी०बी०बी०रल०	-	24
१ ख१	रस०बी०बी०रल०	-	03
१ ग१	रिवातवर	-	01
कुल		-	28

लगातार... 9/-

11- हाजल पंजी :-

बिहार पुलिस दस्तक के मौलुम-11 के नियम 239 ए. फार्म संख्या-43 ए. में यह पंजी संभारित करना है, किन्तु इस धाना में इसे सादे पंजी में संभारित किया जा रहा है। धाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर पंजी संभारित करते हुए अनुमालन प्रतिवेदन दें एवं यह सुनिश्चित करें कि सभी कॉलमों को भरना जा रहा है। धाना प्रभारी ने बताया कि इस पंजी में धाने में गिरावट कर लाये गये व्यक्तियों का नाम, तिथि, एवं न्यायालय अगुसाराएँ एवं जमानत पर मुक्त करने का उल्लेख किया जाता है। यह पंजी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। यदि इस पंजी का संभारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, कॉलम खाली छोड़े जाते हैं, तथा यदि संयोगवश बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जायगा कि धाना प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन को मांग को जाती है। धानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संभारण नियमानुसार करें एवं पंजी अद्यतन रखें।

12- तहती नं०-1 :-

बिहार आरक्षी दस्तक के नियम 76 के तहत तहतियों को संभारित करना है। तहती नं०-1 सरकारों सम्पत्तियों से संबंधित होती है। तहती नं०-1 का अवलोकन किया। इसका अन्तिम मिलाज आरक्षी केन्द्र मुख्यालय के वितरण पंजी से दिनांक 22-10-2002 को किया गया है। तहती के अनुसार कुल 52 अद्यतन सामान इस धाना में हैं।

13- तहती नं०-2 :-

धाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारी एवं कर्मियों का नाम, पता, वेतनमान, पूर्व पदस्थापन स्थान एवं इस धाना में पदस्थापन की तिथि इस तहती में अंकित रहती है, जो अद्यतन है।

14- तहती नं०-3 :-

इस तहती में विस्तृतक अधिनियम के अधीन अनुज्ञापित प्राप्त कारखाने, भंडार और दुकानों की सूची रखी जाती है।

बताया गया कि विस्फोटक अज्ञात-पत्र प्राप्त भंडार का कोई मामला इस धाना में नहीं है ।

15- तहसी नं०-4 :-

इस तहसी में आयुध गोलार बास्स भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । धाना पुमारी ने बताया कि इस धाना क्षेत्र में कोई भी आयुध फेकरी या भंडार नहीं है ।

16- तहसी नं०-5 :-

इस तहसी में विष अधिनियम के अधीन अज्ञात-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । धानापुमारी ने बताया कि इस धाना क्षेत्र में विष अधिनियम के अन्तर्गत अज्ञातपत्र प्राप्त कोई दूकान नहीं है ।

17- तहसी नं०-6 :-

इस तहसी में उत्पाद फाल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अज्ञात-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । तहसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तमुरिया स्टेशन पर एक मात्र लाईसेन्सी देशी फारारब की दूकान है, जिसकी अज्ञातपत्र संख्या-

1 । तहसी में अज्ञातपत्र की छायापत्ति चिपकाया नहीं गया है, जिसे चिपकाने का निर्देश दिया गया । धाना पुमारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अधीक्षक उत्पाद, मधुखनी से सम्पर्क स्थापित कर अनुमालन सुनिश्चित करें ।

18- तहसी नं०- 7 :-

इस तहसी में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित सूची रखी जाती है, जो अद्यतन है ।

19- तहसी नं०-8 :-

इस तहसी में जुआ, भसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । धाना पुमारी ने बताया कि इस धाना

क्षेत्र में भसिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

20- तहसी नं०-9 :-

धाना क्षेत्र में लगेन वाले हाट, भगा की सूचना इस तहसी में अंकित की जाती है । तहसी अद्यतन है । धाना पुमारी ने

बताया कि इस थाना क्षेत्र में हाट ग्राम-लीफा, लखनौर, भैरी, गंगापुर में लगता है । महाशिवरात्रि के समय ग्राम-ओकसी में भाललगता है । परन्तु निर्देशणा हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में हाट एवं भेरा किस-किस दिन लगता है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

21- तहसी नं०- 10:-

इस तहसी में थाना क्षेत्र के पंचायतों के मुखियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रुखंड समितियों के अध्यक्षों का नाम लिखे जाते हैं । तहसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसी में दर्ज सूचना अपुरी है । थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि पंचायत समिति के सदस्यों/पार्सदों/उप प्रमुखों का नाम भी इसमें दर्ज करना सुनिश्चित करें एवं अनुमालन प्रतिवेदन भेजें । इसके अतिरिक्त उक्त सूची में थानाक्षेत्र के विधायक/पार्सद/सांसदों का भी नाम अंकित करें ।

22- तहसी नं०-11 :-

इस तहसी में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों एवं आरक्षी थानों को सूची रहती है जिन्हें हाक-डाक सूचना भेजी जाती है । तहसीके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को एक भी पत्र नहीं भेजा गया है । क्या थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोईपत्र नहीं भेजा जाता है ? थाना प्रभारी स्थिति स्पष्ट करें ।

23- तहसी नं०-12 :-

इस तहसी में दागो व्यक्तियों को सूची रखी जाती है । इस तहसी के अनुसार इस थाना में कुल दागियों को संख्या संघातित है, परन्तु श्रेणी २, श्रेणी-बी एवं श्रेणी-सी में कितने दागो हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो चिन्तार्जनक है । थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर वर्णित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही सभी दागियों के विरुद्ध कड़ी निगरानी रखी जाय ।

24- तहसी नं०- 13 :-

इस तहसी में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । तहसी का अवलोकन किया गया । परन्तु सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी है । थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि

सोमावर्ती धानों के सक्रिय अपराधियों को सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उन पर कड़ी निगरानी भी रखें ।

25- तहसी नं०- 14 :-

इस तहसी में अधिकांशियों को भूजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । तहसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को इस धाना से कोई प्रतिबन्धन नहीं भेजा गया है । जिला स्तर पर आयोजित जनता दरवार में बहुत से मामले धाने से ही संबंधित होते हैं । धाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें एवं मविब्य में इसका अनुमालन सुनिश्चित करें ।

26- तहसी नं०-15 :-

इस तहसी में धाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है एवं धाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दीवाल पर टंगा हुआ है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, धानामानचित्र भी टंगा रहेगा, जिस पर भविष्य, प्रारंभ की दूकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारों युक्तियों को सीमारे, सोमावर्ती आरक्षी धानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, मैल या अन्य देश के सह-सोमस्थ हों, तो इन देशों के सह-सोमस्थ धानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुमालन नहीं किया गया है । धानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुमालन प्रतिबन्धन भेजें ।

27- तहसी नं०-16 :-

इस तहसी में सरकारी अधिसूचना को प्रति, धाना नं०, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल आदि रखी जाती है । इस तहसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें मात्र गाँव का नाम, धाना नं० अंकित किया गया है । अन्य सूचनारं नहीं है । धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रकृत विकास पदाधिकारी, लखनौर से सम्पर्क स्थापित कर वरिष्ठ सूचनारं अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

28- सस इन्सोक्टर नोटबुक :-

षिडार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या -75 बी0 में सस इन्सोक्टर नोट बुक संभारित करना है ।
धाना प्रभारो द्वारा यह नोट बुक संभारित नहीं किया जा रहा है, बल्कि निजी हाथरो में संभारित है । धाना प्रभारो को निर्देशा
दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर संभारित करना सुनिश्चित करें ।

29- खतियान इन्सोक्शन रजिस्टर पार्ट-1 :-

यह विहित प्रपत्र में संभारित है । इसमें 64 कॉलम है एवं अदलन है । यह आरक्षी निरोक्षक द्वारा लिखा जाता है ।

30- खतियान इन्सोक्शन रजिस्टर पार्ट-11 :-

बताया गया कि यह विहित प्रपत्र में संभारित है जिसमें मास्कि रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्ता का
नाम अभिषेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरोक्षक द्वारा लिखा जाता है । आरक्षी निरोक्षक को निर्देशा दिया गया
कि इस संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

31- सी0 डी0 पार्ट-1 :-

इसमें दानगी व्यक्तियों डीसिपर्स को सूची रखी जाती है । धाना प्रभारो द्वारा बताया गया कि इस धाना में कुल
16 दानगी व्यक्ति निगरानी में रखे गये हैं, जिसका इन्डेक्स टू डीसिपर पंजी संभारित है । धाना प्रभारो द्वारा बताया गया कि श्रेणी
र में 14, श्रेणी बी में 4 तथा श्रेणी सी में 7 अन्य दानगी हैं । सभी दानियों का अलग-अलग संचिका रखा गया है, जिसमें सामयिक जॉय
टिप्पणी अंकित की जाती है । श्रेणी -र में दानगी संख्या 5/66 राजेन्द्र मल्लाह 10 सोनाई मल्लाह, सा0-गुणाकरपुर को सुट्टयु हो
गयी है, जिसका नाम दानगी पंजी से हटाने के लिए उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक, मधुखनी को प्रस्ताव समर्पित किया गया है ।
इन्डेक्स टू डीसिपर पंजी का फिलान आरक्षी अधीक्षक, मधुखनी के डी0सी0बी0 रीखा से 22-10-2002 को किया गया है । पंजी के
अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आरक्षी निरोक्षक द्वारा वर्ष 2000 तक ही इसमें लिखा गया है । आरक्षी अधीक्षक, मधुखनी से
अनुरोध है कि इस संबंध में आरक्षी निरोक्षक, बंगारपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अधीहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

32- सी० डी० पार्ट-11 :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसमें दूसरे याना का केस लाल स्याही से एवं अपने याना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है। पंजी का अवलोकन किया। पंजी में पुष्टों का सत्यापन नहीं है। प्रायः कम्पोजिट रूमी पंजियों में पुष्टों का सत्यापन नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है। यानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि याना में संचारित रूमी पंजियों में पुष्टों का सत्यापन कर पंजी के प्रथम पुष्ट पर अंकित करना सुनिश्चित करें। पंजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंतिम प्रविष्टि 179 है, जो मेथुरक्षेत्रनीरक्षेत्र याना काण्ड संख्या 160/99 दिनांक 16-8-99 धारा 336 भा०द०वि० से संबंधित है। दूसरे याना क्षेत्र के अपराधियों का अपराध निर्देशिका पत्र भेजकर वहाँ को अपराध निर्देशिका भाग-2 का क्रमांक प्राप्त कर पंजी में प्रविष्टि किया गया है। यह पंजी भी वर्ष 2001 तक ही संचारित है। याना प्रभारी अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें कि पंजी अद्यतन क्यों नहीं है।

33- सी० डी० पार्ट- 111 :-

इस पंजी में याना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण घिसियों पर यथा धार्मिक, कृषि, सामुदायिक, भू-विववाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तिपूर्ण वर्षवार अंकित की जाती है। याना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी दो भाग संचारित होता है। भाग-1 में याना क्षेत्र में होने वाले उत्सव, पूजा एवं इस अवसर पर विधि-द्वय तथा संचारण के तौर-तरीके का उल्लेख किया जा रहा है। खण्ड-क सं. 1-2002 तक लिखा गया है। खण्ड-ख में युनियनवार सम्पत्ति मूलक अपराध का उल्लेख किया जा रहा है। पंजी तुल्य श्रेणात्मिक तक लिखा हुआ है। तुल्य श्रेणात्मिक में तीनों तर्क में सम्पत्ति मूलक का एक भी काण्ड प्रतिवेदित नहीं हुआ है।

34- अल्फावेट अनुक्रमणिका पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला याना में जाता है, तो उसे अल्फावेट पंजी से नाम देखकर सी० डी० पार्ट-11 से जानकारी ली जाती है। अल्फावेट पंजी में जैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं। यह पंजी सी० डी० पार्ट-11 में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है। याना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चरित्र सत्यापन

संस्थित कोर्ड मामला लंविन नही है ।

35- रम0310 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-357 के तहत फार्म 76 स. में रम0310 रजिस्टर संघारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने को दौलती जैसे लुटपाट किया गयाअधवा नही, डंडा-लाठी से मारपीट किया गया या नही, उनके द्वारा जरी समय क्या-क्या बोलत गया, आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

36- अपाकृतिक मृत्यु :-

अपाकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संघारित है । विगत पांच वर्षों का अपाकृतिक मृत्यु से संबंधित आंकड़ा निम्नत है:-

वर्ष	आग में जलने में	पानी में डूबने में	पेड़ से गिरने में	फॉसी से	सर्दंग से	विविध
1997	2	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	1
1999	-	1	-	-	-	-
2000	-	2	-	1	-	2
2001	2	1	-	-	-	1
2002	1	-	-	-	-	2

दिनांक 22-10-2002 तक

लंविन अपाकृतिक मृत्यु अभियोग से संबंधित विवरण निम्नकार है :-

क्रमांक	यूडी0काण्ड संख्या	तिथि	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंविन का कारण
1-	यूडी0काण्ड सं0 05/2000	19-12-2000	अ0नि0 सुशील कुमार यादव	भीसरा जॉच हेतु ।
2-	यूडी0काण्ड सं0 01/2001	31-01-2001	अ0नि0 सुशील कुमार यादव	

- 3- यू0डी0कांड सं0-02/2001 12-03-2001 310 फिन0 सुशील कुमार यादव
- 4- यू0डी0कांड सं0-03/2001 08-03-2001 310310 फिन0 हरिप्रकांर रातम
- 5- यू0डी0कांड सं0-01/2002 28-02-2002 310 फिन0 सुशील कुमार यादव
- 6- यू0डी0कांड संख्याT-02/2002 16-07-2002 310310 फिन0 आर0पी0श्रीवास्तव

भीसरT जॉय हेतु ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिष्णियम के तहत दर्ज मामलों को पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों को पंजी संघारित है । धाना प्रभारो दारT

प्रतिवेदित उक्त अधिनियम के तहत वर्ष 1997 से दर्ज मामलों को अदालत स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	वर्ष	काण्ड संख्या एवं तिथि	धारा	अव्युक्ति
1-	1997	01/97 दि0 03-01-97	341/323/354/504 भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आर0प पत्र सं0-17/97 दिनांक 29-3-97 समर्पित ।
2-	1997	22/97 दि0 6-2-97	447/323/354/34 भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आर0प पत्र सं0 27/97 दिनांक 04-06-97 समर्पित ।
3-	1997	36/97 दि0 08-02-1997	364/365/323/379/34 भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	प्रभारT प्रतिवेदन सं0-08/97 दिनांक 12-04-97 समर्पित ।
4-	1999	19/99 दि0 01-02-1999	341/323/354/379/34 भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आर0प पत्र सं0 10/99 दिनांक 08-5-99 समर्पित ।
5-	1999	245/99 दि0 14-12-99	341/323/324/354/504/34भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आर0प पत्र सं0 20/2000 दिनांक 29-05-2002 समर्पित ।
6-	2000	44/2000 दि0 20-03-2002	147, 148, 149, 341, 323, 324, 337, 436, 307, 504 भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आर0प पत्र सं0 15/2000 दिनांक 28-06-2000 समर्पित ।
7-	2000	251/2000 दि0 3-12-2000	341/323/354/504/भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आर0प पत्र सं0 55/2002 दिनांक

मधुपुर ४लखनौर ४ धाना काण्ड संख्याT 251/2000, डिलरंक 3-12-2000 धाराT 341, 323, 354, 504, भा0द0 वि0 रवं 3४x४ हरिजन लजातर...17 /-

अध्याचार अधिनियम का अमलीकन किया। इसमें ग्राम-देवालयवार से वादिलो मुनी देवी जीय स्वो रथाम स्वयय के पदकथान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों ॥ सुदुद सिंह ५० शिवानन्दन सिंह १२१ नयुनी सिंह ५० स्वो पुकार सिंह १३१ भवनाथ सिंह ५० स्वो देव सिंह सभी साकिन देवालयवार के विरुद्ध अंकित है। इस कण्ड में अनुसंधार पूर्ण कर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोग्य पत्र संख्या 55/2002 दिनांक 32.01.2002 समर्पित किया गया है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकाश/अवेदन पत्र प्राप्त होने ही त्वरित गति से कार्टवाइज करें ताकि इस अधिनियम के वारे में आम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके एवं पुलिसप्रशासन से प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। जिला स्तर पर प्रत्येक वृहत्प्रतिवार को आयोजित बन्ना दरवार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि धाना प्रभारी द्वारा उम्का मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है। विदित हो कि लखनौर धाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमि तिथि के वीच बनाव को लुप्त करे मिलती रहती है। धाना प्रभारी इस ओर विशेष ध्यान दे।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

विहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म-67 में यह पंजी संधारित करना है। इस धाना में कतिने शस्त्र जमा हैं, इस संबंध में कोई प्रतिवेदन धाना प्रभारी द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जो चिन्ता का विषय है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उनके धाना में कतिने शस्त्र जमा हैं, कब से जमा है एवं कथों जमा है के संबंध में त्वस्तुत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59१क के तहत फार्म संख्या 68 में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। परन्तु आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है। नियम 59१क में यह स्पष्ट रूप से निर्देशा दिया गया है कि 'पत्र संख्या 68, में जो फिलिय प्रेषित किया जायगा, उन केषों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं। आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगा, जो इन्हें रुमरा: जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अगता रित करेंगे। आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को निर्देशा दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह पंजी इस धाना में संघारित है। इस पंजी में सर्किल वार एटित लूट की घटना का विवरण भी अंकित किया जाता है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्किल नं०-111 से वर्ष 94 में लूट की एक घटना घटी थी, जिसकी प्रतिक्रिया की गई है, जिसमें अनुसंधान पूर्ण कर सत्य सुनदीन समर्पित किया गया है। वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 में लूट की कोई घटना नहीं घटी है। इस पंजी का मिश्रण आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के डी०सी०बी० राणा से दिनांक 22-10-2002 को किया गया है।

41- डकैती पंजी :-

इस धाना में यह पंजी संघारित है। इस पंजी में सर्किल वार एटित डकैती काण्डों का विवरण भी अंकित किया जाता है। साथ काण्ड के फलफल का उल्लेख भी इस पंजी में अंकित किया जाता है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मेथुरूलखनीर धाना काण्ड संख्या 109/2002 दिनांक 12-4-2002 धारा 395 भा०द०वि० ग्राम-लौफा सहनी टोलगा से प्रतिवेदित है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है। पंजी का मिश्रण आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के डी०सी० बी० राणा से दिनांक 22-10-2002 को किया गया है।

42- गुड्डा पंजी :-

आरक्षी हस्तक के नियम-1316क के अनुसार अपराध शैली के अनुसार गुड्डों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार निम्न प्रकार के गुड्डा होते हैं :-

§18 शाराबी §22 दवाब डालकर पैसा खंडन वाले §38 मादक पदार्थों का अवैध कारवार करने वाले §48 महिलाओं के साथ अन्यायकार करने वाले §58 काला बाजारी करने वाले §68 दंगाई §78 मुकदमाका §88 तीड़-फोड़ करने वाले §98 संयुक्तवादी §108 छात्रों को भड़काने वाले §118 स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले §128 जुआड़ी §138 छीन-छोर करने वाले एवं §148 रेलगाड़ियों और बसों पर बंदमारी करने वाले।

पंजी का अवलोकन किया। पंजी के अनुसार इसका मिश्रण दिनांक 22-10-2002 को आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के डी०सी० बी० कार्यालय से किया गया है।

43- अमराथ अर्कड्डा :-

लखनौर धाना के विगत पर्ये वर्षों का अमराथ अर्कड्डा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हरथा	इकेती	लूट	गुझेदन	चोरनी	दंग
1997	-	-	-	2	3१3१	8१8१
1998	-	-	-	3	5१2१	5१5१
1999	1१1१	1	-	-	2१1१	4१4१
2000	3	-	-	2१2१	2१2१	3१3१
2001	-	-	-	1	2	9१8१
2002	1१1१	1	-	-	4१3१	6१2१

१ दि० 22-10-2002 तक

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र इकेती एवं लूट की घटना को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में अराधय को घटना में वृद्धि हुई है, जो चिन्ताजनक है। इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। याना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थान अभियान चलकर क्षेत्र में बढ़ती हुई अराधय घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करें। अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, संभारपुर एवं आरक्षी निरीक्षक, संभारपुर अंचल को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

44- प्राथमिकी पंजी :-

याना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चूंकि लखनौर याना मधुर याना काही सहायक याना है, फलस्वरूप इस क्षेत्र में घटनेवाली घटनाओं का प्राथमिकी मधुर याना में ही दर्ज होता है। फिर भी जांकारी के लिए छायापति संभारित की गयी है। प्राथमिकी पंजी के क्रमांक 1389151 से 1389200 तक का अवलोकन किया जो विधिवत संभारित है। प्राथमिकी पंजी पर मधुर लखनौर याना का दि० सं०-246/2002 दिनांक 20-10-2002 धारा 447/341/323/379/34 भा० 60 वि० अंतिम प्रविष्टि है।

अप्राथमिकी पंजी का अवलोकन किया। इसे सादे कागज में तैयार कर संभारित की गई है जिसमें धारा 107, 116, 109, 144, 133 दंग सं० एवं धारा 182/211, 188, 186, 290, भा० 60 वि० से संबंधित प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। इस पंजी का फिस्तान दिनांक 23-10-2002 को अनुमण्डल पदाधिकारी, संभारपुर के कार्यालय से किया गया है।

दिगत पंच वर्षों का आँकड़ा निम्नवत है :-

लगातार... 20/-

वर्ष	107/116 द०प्र०सं०	109 द०प्र०सं०	144/145 द०प्र०सं०	133 द०प्र०सं०	182/211 भा०द०वि०	188 भा०द०वि०	186 भा०द०वि०	290 भा०द०वि०
1997	31	01	06	-	03	-	-	-
1998	47/4	-	07	-	01	-	-	-
1999	48/5	-	10	-	08	-	-	-
2000	49/8	-	06	-	01	-	-	-
2001	39	-	04	-	-	-	-	-
2002	26	-	07	-	02	-	-	-

१ दि० 022-10-2002 तक १

46- रोकड़ बढ़ी :-

रोकड़ बढ़ी पंजी संभारित है । यह दो भाग में लिखा जाता है । भाग-1 में कैदी मद में प्राप्त राशि एवं कैदियों के भोजन कारने में व्यय का विवरण अंकित किया जा रहा है । माह-सितम्बर 2002 तक का व्यय उक्त पंजी में लिखा गया है, जिसके अनुसार कैदियों के भोजन मद में 1098/-रुपया व्यय किया गया है । भाग-11 में धाना में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मियों का वेतन मुन्नान का उल्लेख किया गया है, जो माह-सितम्बर, 2002 तक धाना प्रभारी द्वारा लिखा गया है । रोकड़ बढ़ी के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह सितम्बर, 2002 में पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतन मद में 55,726/-रुपये प्राप्त हुए थे, जिसका मुन्नान किया गया है । अवशेष शून्य है । सभी प्रमाणों का आरक्षी अधीक्षक, मधुखनी लेखा शाखा कार्यालय को लौटा दिया गया है ।

47- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम -13 के तहत विहित प्रश्न में चौकीदारी पंजी का संभारण किया गया है । चौकीदारों का उपस्थिति रोग्यता अंक में दर्ज की जाती है एवं अनुपस्थिति लाल स्याही से इटालियन में अंकित किया जाता है । पंजी की स्थिति दयनीय है, जिसे बर्दाश्त करने का निर्देश धाना प्रभारी को दिया जाता है ।

चौकीदार/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रि रिक्त	अतिरिक्त
1-	दफादार	2	1	1	
2-	चौकीदार	28	27	1	
	कुल योग :-	30	28	2	

उपर्युक्त आर्कडेट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार का एक पद एवं चौकीदार का एक पद रिक्त है। थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना में एक दफादार एवं 27 चौकीदार कार्यरत है। सर्किल नं०-४१११ के दफादार जीवट सिंह के श्वान्मुक्ति के उपरान्त उनके स्थान पर उनका लड़का बंधन सिंह चौकीदार के पद पर कार्यरत है। इस सर्किल में दफादार का एक पद रिक्त है। सर्किल नं०-४१११ के बीट नं०-१० के चौकीदार बी०/१० मो० सिद्धिक के श्वान्मुक्ति के पश्चात् से रिक्त चलता आ रहा है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दफादार/चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियमानुसार योग्य व्यक्तियों का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों को सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	बीट संख्या	पदनाम	नाम/पिता का नाम	पता	बीट में पड़ने वाले गाँव का नाम
1-	111	दफादार	अशोक कुमार सिंह प० आनन्दी सिंह	ग्राम-कोरियापट्टी	सर्किल नं०-१११
2-	111/1	चौकीदार	गफर नदाफ प० फरमुद नदाफ	ग्राम-खैरी टोला	खैरी टोला, लखनौर, कमलदाहा
3-	111/2	चौकीदार	महेश्वर साह प० पिताखर साह	ग्राम-स्पोली	स्पोली
4-	111/3	चौकीदार	रामदेव पासवान प० फकीर पासवान	ग्राम-कोरियापट्टी	कोरियापट्टी, छर पिपट्टी, परभेसर
5-	111/4	चौकीदार	रामलून पासवान प० अयोधी पासवान	ग्राम-बेलही	बेलही, निर्मला
6-	111/5	चौकीदार	भोलू पासवान प० मोहन पासवान	ग्राम-अंकुणी	आँकसी
7-	111/6	चौकीदार	मो० करबान प० उभेद श्री	ग्राम-दैयाखरवार	दैयाखरवार लगानार... 22/-

8-	111/7	चौकीदार	पापु सदाय पे० बुधो सदाय	सा०- कसियाम	कसियाम
9-	111/8	चौकीदार	जय किसन पासवान पे० महावीर पासवान । मो० हमीद पे० मंगल नदाफ	सा०- गुणाकरपुर	गुणाकरपुर ।
10-	111/9	चौकीदार	इस्लाम मंसूरी पे० जन्म मंसूरी लक्ष्मी खन्ने पे० किसन खन्ने किसमत मंसूरी पे० जीवछ नदाफ	सा०-गंगापुर	गंगापुर, भैरवा टोल
11-	111/1	चौकीदार	मो० समीक नदाफ, पे० मो० सैमान नदाफ अलीहसन नदाफ पे० स्लाही नदाफ	सा०-लौफा	सोन्ने, बीदराही
12-	111/5	चौकीदार	फसियाही सदाय पे० बौक सदाय बन्दीन सिंह पे० जीवछ सिंह	सा०- बलिया	बलिया खेरी ।
13-	111/6	चौकीदार		सा०- कडुवी	कडुवी
14-	111/7	चौकीदार		सा०-इभारी	इभारी
15-	111/8	चौकीदार		सा०- जोरला	जोरला ।
16-	111/9	चौकीदार		सा०- बलिया	बलिया खेरी ।
17-	111/13	चौकीदार		सा०- कडुवी	कडुवी
18-	111/1	चौकीदार	उभैरा पासवान पे० पुदन पासवान कमल पासवान पे० पे० फुयाड पासवान । गंगाराम यादव पे० महावीर यादव	सा०- बयनाहा ।	बयनाहा ।
19-	111/2	चौकीदार	राम रतन पासवान पे० यदुनन्दन पासवान ।	सा०- कडुआ टोले बलुआहा नन्देनगर	
20-	111/3	चौकीदार		सा०- तमुरिया	तमुरिया ।
21-	111/4	चौकीदार		सा०- बिहारपुर	बिहारपुर, सोन्मर्बा ।
22-	111/5	चौकीदार	सनील कुमार पासवान पे० नन्द पासवान । श्रीलाल पासवान पे० सोताराम पासवान ।	सा०- कडुवी	कडुवी, विश्वनामटो ।
23-	111/6	चौकीदार		सा०- भैवी	भैवी
24-	111/7	चौकीदार	पृथ्वी लाल पासवान पे० जालधर पासवान । जीतन पासवान पे०	सा०- कडुवी	कडुवी
25-	111/8	चौकीदार	ठीठर पासवान ।	ग्राम- कडुवा टोले बलुआही	सिस्ते सिंहपुर ।

26-	X111/9	चौकीदार	मो० सैद्धिक पे० मो० सोपना नदाम्फ	ग्राम- नेमुआ	नेमुआ ।
27-	X111/11	चौकीदार	मो० इलियास मंसरी पे०- मो० स्यामरी नदाम्फ	ग्राम- सोनरे	सोनरे, बोदराही ।
28-	X111/12	चौकीदार	ठीठर पासवान पे० गोनर पासवान	सामो- कहुआ टोले, बलुआही	कहुआ ।

48- चौकीदार डिस्मोजोरान पंजी :-

चौकीदार डिस्मोजोरान पंजी विहित प्रपत्र में संघारित है एवं अदतन है ।

49- मालखाना पंजी :-

थाना प्रभारो ने बताया कि मालखाना के प्रभार में अवर निरोक्षक रात्रिभूषण सिंह थे, जिनकी श्वाफिन्सुतल दिनांक 31-1-2002 को हों गया है । उनके द्वारा प्रभार नहीं सोंपने के कारण वर्तमान थाना प्रभारो द्वारा प्रभार गहण नही किया गया है । वर्तमान में अलग से पंजी को संघारित किया जा रहा है । थाना प्रभारो को पुनः निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से श्वाफिन्सुतल 30दिनो रात्रिभूषण सिंह के बारे में छांन्बीन कर उन्हें अविलम्ब मालखाना का प्रभार सोंपने हेतु कार्रवाई को जाय । यदि 15 दिनों के अन्दर श्री सिंह द्वारा प्रभार नहीं सोंपा जाता है तो अंचल अधिकारी, लखनौर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त होकर मालखाना का इन्वेन्ट्री तैयार करवाकर वर्तमान थाना प्रभारो को प्रभार क्लाना सुनिश्चित करेगे ।

50- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ. में प्राप्त पत्रों को पंजी एवं प्रपत्र 119 आ. में निर्गत पत्रों को पंजी संघारित करना है, जिसमें §1§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्ती थाना से संबंधित एवं §4§ आग जस्ता से संबंधित पत्रों को संघारित करना है । थाना प्रभारो को इसे सही ढंग से संघारित करने करने का निर्देश दिया गया ।

51- लंघित विशेष प्रतिवेदित काण्डों को विवरणी :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	दिनांक	घाटा	अनुसंधानकर्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	46/98	22-3-98	406/420/120 बी भा 0 वि 0	310 फिन 0 रम 0 टुडरू	गिरधारी हेतु । गिरधारी हेतु ।
2-	180/2001	18-8-2001	406/420/467/468/120 बी भा 0 वि 0	310 फिन 0 रम 0 टुडरू	गिरधारी हेतु ।
3-	46/2002	6-2-2002	447/452/380/420/495/307 भा 0 वि 0	310 फिन 0 रस 0 के 0 यादव	संदिग्धों को गिरधारी हेतु ।
4-	109/2002	12-4-2002	395 भा 0 वि 0	310 फिन 0 रम 0 टुडरू	पक्षिष्ठा दिव्याणी के निर्देशों का अनुपालन करना ।
5-	166/2002	19-6-2002	147/148/149/323/452/436/330/504 भा 0 वि 0	310 फिन 0 रम 0 टुडरू	अनुसंधान हेतु ।
6-	191/2002	2-8-2002	147/427/452/380/436 भा 0 वि 0 रवं 27 अर्से	310 फिन 0 हरिनाकर रतम	अनुसंधान हेतु ।
7-	224/2002	12-9-2002	409/420/468/469/471 भा 0 वि 0	310 फिन 0 रम 0 टुडरू	अनुसंधान हेतु ।

उपर्युक्त आर्कडों के जवलोकेन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1998 का एक काण्ड भी लंबित है । धाना पुरानी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित काण्डों के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय ।

52- लंबित अधिरोध काण्डों की विवरणी :-

इस धानान्तर्गत लंबित अधिरोध काण्डों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	तिथि	घाटा	अनुसंधानकर्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	34/2002	22-2-2002	342/323/324/326/307/34 भा 0 वि 0	310 फिन 0 रस 0 के यादव	गिरधारी हेतु ।
2-	234/2001	8-10-2001	341/323/324/307/504/34 भा 0 वि 0	310 फिन 0 गारुपी 0 श्रीकांत	गिरधारी हेतु ।
3-	18/2002	20-1-2002	341/323/324/307 भा 0 वि 0	310 फिन 0 गारुपी 0 श्रीकांत	गिरधारी हेतु ।

4-	75/2002	11-3-2002	342/323/324/326/307/379/ 504/34 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी०श्रीवास्तव	गिरधारी हेतु ।
5-	123/2002	1-5-2002	379/411/34 भाटदो वि०	३१० नि० रस० के यादव	गिरधारी हेतु ।
6-	145/2002	24-5-2002	461/379/411 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी०श्रीवास्तव	गड्डी को जप्त करना रव अभियंता को गिरधारी करना ।
7-	154/2002	10-6-2002	279/338 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी० श्रीवास्तव	
8-	190/2002	30-7-2002	143/379 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी०श्रीवास्तव	गिरधारी हेतु ।
9-	228/2002	16-9-2002	341/447/323/379/504/ 34 भाटदो वि०	स०३१० नि० हरिशंकर राय	अनुसंधान हेतु ।
10-	234/2002	30-9-2002	147/149/323/324/452/ 380/504 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी०श्रीवास्तव	गिरधारी हेतु ।
11-	235/2002	30-9-2002	341/323/324/504/34 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी०श्रीवास्तव	गिरधारी हेतु ।
12-	238/2002	5-10-2002	341/323/379/504/ भाटदो वि०	स०३१० नि० हरिशंकर राय	
13-	239/2002		452/341/323/380/504/ 34 भाटदो वि०	स०३१० नि० आर०पी०श्रीवास्तव	गिरधारी हेतु ।
14-	243/2002		341/323/324/379/504/ 34 भाटदो वि०	३१० नि० रस० दुड्डू	गिरधारी हेतु ।
15-	246/2002	21-10-2002	447/341/323/379, 34 भाटदो वि०	स०३१० नि० हरिशंकर राय	अनुसंधान हेतु ।

53- सम्मान गार्ड :-

निरक्षर हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोदस्ताधारी को सजाओ दी गयी । सभी आरक्षियों का दर्न आउट

अच्छा रदा ।

54- धाना प्रभारी के कर्तव्य :-

धाना प्रभारी से पूछने पर कि उनका कर्तव्य क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया जब कि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इच्छी

जानकारी दे दी जाती है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81क में धाना प्भारी का क्या कर्तव्य है, उसकी विवरण निम्नवत है:-

क अधिेश वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।

ख अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारोति और अविलम्ब धीरे प्राप्त करना ।

- ग अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना ।
- घ अपराध-निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
- डो रखन गत को व्यवस्था करना ।
- च अज्ञो विका के कसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।
- छ सोमावर्ती धानों के अधिकाधियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।
- धाना प्भारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुमालन रखनी से करें ।

55- अन्यान्य :-

क जिला विधि अञ्चल सभिति की बैठक में पीओपीओ द्वारा प्रायः शिकायत को जाती है कि अनुसंधानकर्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में रक्यूटल का सामना करना पड़ता है । अतः धाना प्भारी को निर्देश दिया जाता है कि ग्राह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मान भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्यरित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुमालन प्रतिवेदन भेजने एवं कस डायरी की मांग किये जाने पर तसमय उपलब्ध करायी ।

ख रओपीओ द्वारा जिला विधि अञ्चल सभिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कड़ों के निरूपादन में कठिनाई होती है । अतस्व, धाना प्भारी लंबित कड़ों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निरूपादित करता है प्रतिवेदन सभिति करेगे ।

ग नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डीओड्यूओ एवं बीओ ड्यूओ का रखनी से कार्यनिव्यन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

घ भूमि विवाद का तथायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/गति-व्यवस्था कायम करने में प्रुद्ध विकास पदाधिकारियों/

अंश अधिकारी से सम्बन्ध स्थापित कर, नियोजित सम्पर्क कर अग्रिम तदर्थीय दें ।

खं गरीब एवं असहाय व्यक्तित्व/अनुसूचित जाति/जनजाति से प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से धाराएं ।

खं भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकोदारों को माह में एक बार अंश अधिकारी के पास अवश्य भेजे जाये ताकि उनके तदर्थीय से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि को वसूली को जा सके ।

खं चौकीदारी परेड का निरोधना के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बाँरे में, अनामानिक तन्वी के बाँरे में एवं अन्य गतिविधि से संबंधित धाना को निश्चित रूप से लुना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सन्निहित राशि को वसूली में अंश अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें । चौकीदारों के परेड के निरोधना के क्रम में चौकीदारों से बातया कि विवर 6-7 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है । इस संबंध में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर से पूछने पर उन्होंने बताया कि बंगारपुर कोषागार में विपत्र भेजा जा चुका है, एक-दो दिन में मुसलान कर दिया जाया ।

56- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस धाना का कार्य-काय संतोषदा कहना जा सकता है । धाना प्रसारो का हस्तलेखन बहुत अच्छा है । धाना प्रसारो बहुत देखनी भी है । धाना प्रसारो को निर्देश दिया जाता है कि धाना में संधारित सभी पंखियों में पुरटों का सत्यापन पंजी के प्रथम पुरट पर अवश्य करें ताकि पारदर्शिता वनी रहे । निरोधना के क्रम में जो कुटियाँ पाई गई है, उन्हें निरोधना दिव्यानी में दिये गये निर्देश के आलोक में समय-सोमा के अन्दर दूर करना सुनिश्चित करें । यदि इस निरोधना के दौरान दिये गये निर्देश का अनुमालन समय-सोमा के अन्दर किया जाता है तो निश्चित रूप से धाना के कार्य-काय में सुगामक सुधार आ सकता है ।

EO/डा.ओ.र.अ.अ.अ.
निका पदाधिकारी,
मसूनी ।

लगातार...28/2

ज्ञाप संख्या 1621 । सामान्य, मुखनी, दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख सचिव, बिहार सरकार, पटना को खाता में सादर सूचनाएं प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को खाता में सादर
सूचनाएं प्रेषित ।

प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह आरक्षी विभाग, बिहार, पटना को खाता में सूचनाएं प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक प्रशासन, बिहार, पटना को खाता में सूचनाएं प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को खाता में सादर सूचनाएं प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को खाता में सूचनाएं प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को खाता में सूचनाएं प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मुखनी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, संसारपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, संसारपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, संसारपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित ।
प्रतिलिपि थानाप्रभारी, लखनौर थाना को सूचनाएं एवं अनुमंडलनाथ प्रेषित ।

Praveendra Kumar
30/10/2002
जिला पदाधिकारी,
मुखनी ।